प्रेस विज्ञप्ति
11.03.2026

अपराध से प्राप्त आगम (पीओसी) को सही दावेदारों को वापस दिलाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), शिमला ने मेसर्स अरविंद कास्टिंग प्रा. लि. के बैंक धोखाधड़ी मामले में भारतीय स्टेट बैंक (पीड़ित बैंक) को 1.69 करोड़ रुपये मूल्य की अचल संपत्तियां सफलतापूर्वक वापस कर दी हैं। इससे पहले, तत्काल मामले में ईडी द्वारा बैंक ऑफ इंडिया को 1.44 करोड़ रुपये मूल्य की अचल संपत्तियां भी वापस कर दी गई थीं।

ईडी ने मेसर्स अरविंद कास्टिंग प्राइवेट लिमिटेड एवं अन्य के खिलाफ हिमाचल प्रदेश के जिला ऊना के थाना हरोली में दर्ज की गई प्राथमिकी के आधार पर जांच शुरू की, जिसमें फर्जी दस्तावेज बनाकर वित्तीय संस्थानों से धोखाधड़ी से ऋण प्राप्त करने और उक्त ऋणों का भुगतान न करने के आरोप में आईपीसी 1860 की विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया था।

ईडी की जांच में पता चला कि मेसर्स अरविंद कास्टिंग प्रा. लि. और अन्य संबंधित आरोपियों ने वर्ष 2014 में फर्जी/जाली दस्तावेजों के आधार पर गलत बयानी करके क्रेडिट सुविधाएं प्राप्त की थीं और उक्त धन को स्वीकृत उद्देश्यों के लिए उपयोग करने के बजाय संबंधित संस्थाओं को हस्तांतरित कर दिया था, जिससे वित्तीय संस्थानों को गलत तरीके से नुकसान हुआ था।

इस मामले में पहले, ईडी ने लगभग 3.51 करोड़ रुपये की संपत्ति को अस्थायी रूप से कुर्क किया था और उक्त अस्थायी कुर्की आदेशों की पुष्टि माननीय न्यायनिर्णायक प्राधिकारी, पीएमएलए द्वारा की गई है। इसके अलावा, ईडी ने माननीय विशेष न्यायाधीश (पीएमएलए), धर्मशाला के समक्ष 15.06.2020 को अभियोजन शिकायत भी दर्ज की है और माननीय न्यायालय ने 01.03.2021 को इसका संज्ञान लिया है।

धन शोधन के वास्तविक वैध दावेदारों और पीड़ितों को अपराध की आगम की बहाली के संबंध में पीएमएलए, 2002 के लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए, ईडी ने भारतीय स्टेट बैंक के पक्ष में कुर्क की गई अचल संपत्तियों की रिहाई के लिए माननीय विशेष न्यायाधीश (पीएमएलए), धर्मशाला के समक्ष अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया।

ईडी के उपर्युक्त निवेदन के आधार पर, माननीय विशेष न्यायाधीश (पीएमएलए), धर्मशाला ने भारतीय स्टेट बैंक को 1.69 करोड़ रुपये मूल्य की कुर्क अचल संपत्तियों की बहाली के लिए दिनांक 26.02.2026 का आदेश पारित किया। अतः, मामले में पीड़ित बैंकों को बहाली की गई अचल संपत्तियों का कुल मूल्य 3.13 करोड़ रुपये है।